परिशिष्ट-एक

प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौंसठ '

[15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5840]

दिनांक 07.02.2016 को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहकों तथा वन समितियों के सदस्यों के महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का विवरण –

क्र.	घोषणा क्रमांक व स्थान	घोषणा का दिनांक व विषय	अद्यतन स्थिति
1	7 B1643 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 बाँस उत्पाद अधिकार, वन समितियों का होगा।	परीक्षण
2	8 B1657 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वन विकास निगम के वृक्षारोपणो में भी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लाभांश दिया जावेगा।	परीक्षण
3	9 B1636 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वन्य जीवो से होने वाली जनहानि की क्षतिपूर्ति राशि रूपये 150,000/- से बढ़ाकर रूपये 400,000/- की जावेगी। वन्य जीवों द्वारा पालतू पशु को घायल करने पर मुआवजा दिया जावेगा।	परीक्षण
4	10 B1656 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वर्ष 2015-16 में काष्ठ एवं बांस लाभांश के लिए रूपये 45.40 करोड़ का लाभांश दिया जावेगा।	परीक्षण
5	11 B1655 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वर्ष 2014 के तेंदूपत्ता०ा सीजन के लिए रूपयें 58.00 करोड़ का बोनस दिया जावेगा।	बोनस वितरण की कार्यवाही प्रारंभ
6	12 B1639 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 किसी भी स्रोत से पौधे लगाने पर कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।	परीक्षण
7	14 B1642 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 निजी भूमि पर भी पौधे लगाने पर प्रोत्साहन राशि रूपये 10/- प्रति पौधे से बढ़ाकर रूपये 25/- की जावेगी। वनदूत को रूपये 4/- प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि से बढ़ाकर रूपये 7/- दी जावेगा।	परीक्षण
8	15 B1633 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये 25,000/- से बढ़ाकर रूपये 200,000/- की जावेगी। जिसमें से एक लाख रूपये शासन द्वारा दिया जावेगा।	परीक्षण
9	16 B1637 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वन समितियों को दिए जाने वाले काष्ठ लाभांश को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जावेगा।	परीक्षण
10	17 B1659 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 प्रदेश के 1814 निस्तार डिपो व 470 बांस डिपो को काष्ठ एवं बांस का क्रय विक्रय केन्द्र बनाया जायेगा। इन केन्द्रों पर वन विभाग द्वारा कृषकों से बांस एवं काष्ठ की खरीदी शासन निर्देशानुसार निर्धारित लाभ की दर पर की जायेगी। इन्हीं डिपो से बांस एवं काष्ठ प्रदेश के बांस शिल्पकारो व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निस्तारियों एवं उपभोक्ताओं को तत्समय प्रचलित रियायती दरों पर विक्रय की जायेगी। दोनो दरों के अंतर की राशि अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।	परीक्षण
11	18 B1658 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 प्रदेश में कृषकों के माध्यम से वृक्ष एवं बांस खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य की कृषि नीति इसी वर्ष घोषित की जावेगी। वन विभाग कृषि नीति के क्रियान्वयन का नोडल विभाग होगा।	परीक्षण
12	19 B1638 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 अच्छा कार्य करने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति को नगद पुरस्कार देने की योजना लागू की जावेगी।	परीक्षण
13	20 B1634 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय रूपये 5000/- से बढ़ाकर रूपये 6000/- प्रतिमाह किया जावेगा।	परीक्षण
14	21 B1641 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 भोपाल में वन अकादमी खोली जावेगी।	परीक्षण
15	22 B1635 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 वन्य जीवों द्वारा किसानो की फसल हानि का, प्राकृतिक आपदा से हुई हानि की श्रेणी से अलग कर, मुआवजा राजस्व के स्थान पर वन विभाग से किया जावेगा।	परीक्षण
16	23 B1640 जम्बूरी मैदान	07/02/2016 तेंदूपत्ता संग्रहण दर रूपये 950/- प्रति मानक बौरा से बढ़ाकर रूपये 1250/- प्रति मानक बौरा किया जावेगा।	परीक्षण

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

Rgupta
26/2/16